वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं. 4/18

No. 5-1(13)/2008-PD

Dated 7th August, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

सी.एस.आई.आर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय:-केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अवस्थित गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों/टिफिन कक्षों में कार्यरत कैंटीन कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना-एस.आई.यू. रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में।

Sub. : The Assured Career Progression Scheme for the Canteen employees working in non-statutory Departmental Canteens/Tiffin Rooms located in Central Government Offices – Implementation of SIU Report - Regarding.

महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक **14.01.2008** के कार्यालय ज्ञापन सं. **3/4/2005-निदेशक(कैंटीन)** की प्रति आपको सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith a copy of Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions (Department of Personnel & Training) O.M. No. **3/4/2005-Dir.(C)** dated **14.01.2008** information, compliance and necessary action.

भवदीय,

(आलोक मुखर्जी)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एंव लेखा अधिकारी/ वित्त एंव लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सी.एस.आई.आर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
7. अवर सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान, यू.आर.डी.आई.पी/आई.पी.एम.डी/एच.आर.डी.सी/आर.डी.पी.डी/टी.एन.बी.डी/इस्टेड
9. विधि सलाहकार, सी.एस.आई.आर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सी.एस.आई.आर मुख्यालय के सभी वरिष्ट उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आर.ऐ.बी, सी.एस.आई.आर काम्पलैक्स
12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (now IITR), महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ
13. प्रधान, आई. टी. प्रभाग - इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

सं. 3/4/2005-निदेशक (कैंटीन)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अवस्थित गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों/टिफिन कक्षों में कार्यरत कैंटीन कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना-एस.आई.यू. रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 10/13 अप्रैल, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 4.6.2007 के अनुवर्ती का.ज्ञा. संख्या 3/4/2005-निदेशक (सी0) (पार्ट) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय कैंटीन के कर्मचारियों के लिए कार्यान्वित की जाने वाली सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के क्रम में इस कार्यालय में कई पत्र प्राप्त हुए थे और इस विभाग के ध्यान में यह बात भी लाई गई थी कि वेतन निर्धारण की भी कतिपय समस्याएं सामने आई थी जिससे कर्मचारियों का वेतन निचले वेतनमान में नियत करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को कैंटीन कर्मचारियों से धनराशि की वसूली करनी पड़ी । अत: कैंटीन कर्मचारियों की, सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के समूचे मुद्दे की जॉच-पड़ताल करने का निर्णय लिया गया है । यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि ऐसी कोई स्थिति होती है जब वेतन के पुन: निर्धारण के कारण विभागीय कैंटीन के कर्मचारियों से वसूली की जानी हो तो यह अनुरोध किया गया कि उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 04.06.2007 के का.ज्ञा. के तहत, इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक, इस आशय के लिए की जाने वाली वसूली, न की जाए ।

2. सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के समूचे मुद्दे की, इस विभाग के स्थापना प्रभाग के परामर्श से और इस विभाग के दिनांक 14-02-2007 के का.ज्ञा. संख्या-3/2/94-निदेशक (कैंटीन) (वॉल्यूम-II) के तहत परिचारित आदर्श भर्ती नियमों के अनुरूप और आगे जॉच पड़ताल की गई है । चूँकि कैंटीन में कार्यरत स्टाफ की निम्नलिखित श्रेणियों के संदंध में अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता 'मैट्रिक' की कोई आवश्यकता नहीं है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को, उन पदों का वेतनमान दिया जाएगा जिनके लिए वे मानक पद-सोपान (अनुबंध) में अगले ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हैं ।

(i) सफाई कर्मचारी

(ii) वाश ब्वाय (बर्तन धोने वाला)

(iii) बैरा

(iv) चाय/काफी बनाने वाला ।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों/टिफिन कक्षों के कर्मचारियों को उपलब्ध मानक वेतन-मान, दिनांक 10/13 अप्रैल, 2006 के का.ज्ञा. के अनुबंध में उल्लिखित किए गए थे । अब उपर्युक्त स्पष्ट की गई स्थिति के मद्देनजर, सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के कार्यान्वयन किए जाने पर कैंटीन के कर्मचारियों को, मानक पद-सोपान के अनुसार उन्हें अगले उच्चतर वेतनमान में रखे जाने पर दिए जाने वाले वेतनमान, इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलगन अनुबंध में यथा उल्लिखित मानक पदानुक्रम के अनुसार लागू होंगे ।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे पदों की उपर्युक्त श्रेणियों पर कार्य कर रहे कैंटीन के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना को नए सिरे से कार्यान्वित करें । यदि सुनिश्चित कैरिअर की प्रोन्नयन योजना को कार्यान्वित करते समय पहले कोई वसूली की गई हो तो इसे प्रक्रिया के अनुसार भविष्य में समायोजित किया जाए ।

लाल सिंह

(लाल सिंह)
निदेशक (कैंटीन)
दूरभाष संख्या-24624893.

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) (प्रशासन/स्थापना प्रभाग के प्रभारी निदेशक/उप सचिव के ध्यानार्थ)

2. भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक

3. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, तिलक मार्ग, नई दिल्ली ।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के लेखा नियंत्रक ।

5. स्थापना (घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12-12-2007 के आई.डी. संख्या - सी0-364/07 यू.एस.(डी.) के संदर्भ में ।

6. महा नियंत्रक, रक्षा लेखा, पश्चिमी ब्लॉक, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.

7. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

8. निदेशक (प्रशासन) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

9. अनुभाग अधिकारी (कैंटीन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

अनुबंध

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अवस्थित गैर-सांविधिक अल्पाहार कैंटीनों/टिफिन कक्षों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मानक वेतनमान

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान (रूपए)	सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना का प्रथम वेतनमान	सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना का द्वितीय वेतनमान
1.	सफाईवाला	2550-3200	2610-3540	3050-4590
2.	वाश ब्वाय	2550-3200	2610-3540	3050-4590
3.	बैरा	2610-3540	3050-4590	3200-4900
4.	चाय/काफी बनाने वाला	2610-3540	3050-4590	3200-4900
5.	सहायक हलवाई और रसोइया	3050-4590	3200-4900	4000-6000
6.	क्लर्क	3050-4590	4000-6000	5000-8000
7.	हलवाई सह रसोइया	3200-4900	4000-6000	5000-8000
8.	सहायक प्रबन्धक सह स्टोरकीपर	4000-6000	5000-8000	5500-9000
9.	प्रबन्धक सह लेखाकार	5000-8000	5500-9000	*
10.	प्रबन्धक ग्रेड-II	5000-8000	5500-9000	*
11.	उप महा प्रबन्धक	5000-8000	5500-9000	*
12.	महा प्रबन्धक	5500-9000		*

No.3/4/2005 -Dir.(C)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
(Department of Personnel and Training)
****

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, dated the 14th January, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject : The Assured Career Progression Scheme for the Canteen employees working in non-statutory Departmental Canteens/Tiffin Rooms located in Central Government Offices – Implementation of SIU Report – Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 10/13th April, 2006 and subsequent O.M. No. 3/4/2005-Dir.(C)(Pt.) dated 4.6.2007 on the above subject and to say that a number of references were received in this office seeking clarifications on the ACP scheme to be implemented for departmental canteen staff and also it was brought to the notice of this Department that there were certain pay fixation problems causing fixation of lower scale of pay with the result recoveries were made from the canteen employees by the administrative Ministries/Deptts. Therefore, it was decided to examine the whole issue of the ACP scheme for canteen employees. It was also decided that in case, any situation had arisen when recoveries were to be made from the departmental canteen staff on account of re-fixation of pay, it was requested that the recoveries to this effect need not be effected till a final decision was taken in this matter vide O.M. dated 4.6.2007 mentioned above.

2. The whole issue of ACP Scheme has been further examined in consultation with Estt. Division of this Department and also in accordance with the Model Recruitment Rules circulated vide this Department's O.M. No.3/2/94-Dir.(C)(Vol.II), dated 14.2.2007. Since there is no requirement of educational qualification "Matriculate" in promotion to the next grade in respect of the following categories of staff working in the canteens, it has been decided that the following categories of staff will be given pay scale for the posts for which they are eligible for promotion to the next grade in the standard hierarchy (Annexure) :-.

(i) Safai Karamchari
(ii) Wash Boy (Dish Cleaner)
(iii) Bearer
(iv) Tea/Coffee Maker

The standard pay scales available to the staff of non-statutory departmental canteens/tiffin rooms functioning in Central Government Offices were mentioned in the annexure in the O.M. dated 10/13th April, 2006. Now, in view of the position explained above, the pay scales to be granted to the canteen staff on their placement in next higher scale of pay on implementation of ACP Scheme, as per standard hierarchy, as mentioned in the annexure attached with this O.M., will be admissible

...2/-

3. The Min./Deptts. are requested to implement the ACP Scheme afresh for the canteen employees holding above categories of posts. Recoveries if made earlier while implementing the ACP Scheme, may be adjusted in future as per procedure.

(Lal Singh)
Director(Canteens)
Tel. No. 24624893

To

1. All Ministries/Departments to the Government of India (as per standard list) (For kind attention of Directors/Deputy Secretaries in-charge of Administration/Establishment Division).
2. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
3. The Registrar, Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi.
4. All Controller of Accounts in Ministries/Departments of the Government of India.
5. Establishment "D" Section, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi with reference to their I.D. No.C-364/07 US(D) dated 12.12.2007.
6. The Controller General of Defence Accounts, West Block-V, R.K. Puram, New Delhi-110066.
7. Ministry of Finance (Department of Expenditure).
8. Director(Admn.), Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
9. Section Officer(Canteens), Department of Personnel and Training, Lok Nayak Bhawan, New Delhi with 50 spare copies.

ANNEXURE

STANDARD PAY SCALES AVAILABLE TO THE STAFF OF NON-STATUTORY REFRESHMENT CANTEENS/TIFFIN ROOMS LOCATED IN CENTRAL GOVERNMENT OFFICES.

S.NO.	Designation	Pay Scale Rs.	Ist ACP Scale Rs	2nd ACP Scale
1	Safaiwala	2550-3200	2610-3540	3050-4590
2	Wash Boy	2550-3200	2610-3540	3050-4590
3	Bearer	2610-3540	3050-4590	3200-4900
4	Tea/Coffee Maker	2610-3540	3050-4590	3200-4900
5	Asstt. Halwai-cum-Cook	3050-4590	3200-4900	4000-6000
6	Clerk	3050-4590	4000-6000	5000-8000
7	Halwai-cum-Cook	3200-4900	4000-6000	5000-8000
8	Asstt Manager –cum-Store-keeper	4000-6000	5000-8000	5500-9000
9	Manager-cum-Accountant	5000-8000	5500-9000	*
10	Manager Grade II	5000-8000	5500-9000	*
11	Deputy General Manager	5000-8000	5500-9000	*
12	General Manager	5500-9000		*